"हायब्रीड ॲन्युईटी कार्यक्रमांतर्गत HAM-AM-८३B अकोला जिल्ह्यातील वरवट बकाल मुंडगाव अकोट रस्ता वरवट बकाल मालेगाव तेल्हारा ) ३३.९३६ लांबी २७१-रामा (मुंडगाव वणी वारुळा .किमीची सुधारणा करणे या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे".

## महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्रमांक – सुप्रमा –२०२२/प्र.क्र.३२/रस्ते-५ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक :- ३०.०१.२०२४

## प्रस्तावना :-

हायब्रीड ॲन्युईटी कार्यक्रमांतर्गत HAM-AM-23B अकोला जिल्ह्यातील वरवट बकाल मुंडगाव अकोट रस्ता वरवट बकाल मालेगाव तेल्हारा)मुंडगाव वणी वारुळा लांबी २७१-रामा (कि ३३.९३६.मी ची सुधारणा करणे .या कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे या कामास शासन निर्णय क्र.पिएनएन-२०१६/सी आर (२४१०)/नि-३/मंत्रालय, मुंबई, दि.३०.११.२०१६ अन्वये रू.१२४.३२ कोटी किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. सदरच्या अंदाजपत्रकात प्रकल्प किंमत-EPC, भाववाढ, सेवा वाहिनी स्थलांतरण, भूसंपादन, इतर किंमत, सल्लागार शुल्क या बाबींचा समावेश आहे.

मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी सदर कामासाठी रु. १४३.३५७ कोटी इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदरच्या अंदाजपत्रकात Estimate project cost excluding escalation, भाववाढ, सेवा वाहिनी स्थलांतरण, सल्लागार शुल्क, वस्तु व सेवा कर (GST), स्वतंत्र अभियंता नेमणूक, प्रत्यक्षात काम करतांना कमी जास्त झालेला खर्च या बाबींचा समावेश आहे.

सदर कामाच्या रु. १४३.३५७ कोटी (रुपये एकशे त्रेचाळीस पूर्णांक तीनशे सत्तावन्न कोटी, फक्त) इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

## शासन निर्णय :-

हायब्रिड ॲन्युईटी अंतर्गत प्रगतीत असलेल्या पॅकेज क्रमांक HAM-AM-८३B चे पॅकेज अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या कामांच्या सुधारित रु. १४३.३५७ कोटी (रुपये रुपये एकशे त्रेचाळीस पूर्णांक तीनशे सत्तावन्न कोटी, फक्त) इतक्या रकमेस या शासन निर्णयान्वये खालीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे.

|           |  | шш  | Henon-   | यापुढे                                       |                      |               | बाब चिटाण  | प्र.मा प्राप्त                                    |
|-----------|--|---|--|--|----------------------|---------------|--|---|
| अ.<br>क्र | ৰাৰ  | प्राप्त<br>प्र.मा.नुसा<br>र किंमत रु .<br>कोटीत | प्रत्यक्षात<br>कार्यान्वीत<br>केल्यानुसार<br>किंमत | प्रकल्प पूर्ण<br>होईपर्यंत<br>होणारा<br>खर्च | एकूण खर्च            | निव्वळ<br>वाढ | बाब निहाय<br>किमतीच्या<br>अनुषंगाने<br>टक्केवारी | र्किमतीच्या<br>अनुषंगाने<br>बाबनिहाय<br>टक्केवारी |
| 1         | कामाची एकूण<br>सिविल किंमत   | १०३.४१०   | ३३.७६८   | ५०.६५२                                       | ८४.४२०               | -१८.९९०       | -१८.३६४%   | -१५.२७५%  |
| 2         | भाववाढखर्चिकंमत  | ५.१७१   | ४.९८०  | १३.४६२                                       | १८.४४२               | १३.२७२        | २५६.६७९%   | १०.६७५%   |
| 3         | एकूण (A)   | १०८.५८१   | ३४७.७४८  | ६४.११४                                       | १०२.८६<br>२          | -५.७१८        | -५.२६७%  | -४.६००%   |
| 4         | आकस्मित खर्च<br>किंमत1.00 % x<br>(A)   | १.०८६   | 0.000  | १.०८६  | १.०८६                | 0.000         | 0.000%   | 0.000%  |
| 5         | एकूण (B)   | १०९.६६६   | ३४७.७४   | ६५.२००                                       | १ <i>०</i> ३.९४<br>८ | -५.७१८        | -५.२१४%  | -४.६००%   |
| 6         | प्रासंगिक<br>(Incidental)<br>शुल्क /<br>Preoperative<br>Exp) 1.00 % x<br>(B) | १.०९७   | 0.000  | १.०९७  | १.०९७                | 0.000         | 0.000%   | 0.000%  |
| 7         | वित्तपुरवठा<br>(Financing) शुल्क<br>) Bx 0.60)x 2.00<br>%                    | १.३१६   | 0.000  | 0.000  | 0.000                | -१.३१६        | -१००.०००%  | -१.૦५९%   |
| 8         | वित्त पुरवठा वर<br>लागणारी व्याजाची<br>रक्कम (Bx 0.60)x<br>11.70 %           | ७.६९९   | 0.000  | 0.000  | 0.000                | -७.६९९        | -१००.०००%  | -६.१९३%   |
| 9         | अंदाजित प्रकल्प<br>किंमत-I   | ११९.७७८   | <b>38</b> <i>0.</i> 5 <i>¢</i>                     | ६६.२९७                                       | १०५.०४<br>५          | -<br>१४.७३३   | -१२.३००%   | -११.८५१%  |
| 10        | कन्सलटंसी शुल्क<br>) डीपीआर तयार<br>करणे (रू.2.85<br>लक्ष्य प्रति किमी       | १.१६९   | १.०५०  | 0.888  | १.१६९                | 0.000         | 0.000%   | 0.000%  |
| 11        | भूसंपादन , झाडे<br>तोडणे इत्यादि कामे<br>) L.S.)                             | ०.४७९   | 0.000  | ०.४७९  | ०.४७९                | 0.000         | 0.000%   | 0.000%  |
| 12        | उपयोगी<br>सेवावाहिनी<br>स्थलांतरीत<br>) Utility Services)<br>इ) .L.S.)       | २.३९६   | 0.998  | ४.२५८  | 4.242                | २.८५६         | ११९.२३५%   | २.२९८%  |
| 13        | रस्त्याच्या कडेला<br>झाडे लावणे<br>) Arboriculture)<br>(L.S.)                | 0.888   | 0,000  | 0.888  | o.888                | 0.000         | 0.000%   | 0.000%  |
| 14        | एकूणकिंमत - II   | ४.५४२   | २.०४४  | <b>५.३५</b> ४                                | ७.३९८                | २.८५६         | ६२.८८९%  | २.२९८%  |
| 15        | प्रकल्पाची एकूण  | १२४.३२०   | ४०.७९२   | ७१.६५१                                       | ११२.४४३              | -११.८७७       | -9.443%  | -९.५५३%   |

| अ .<br>क्र | बाब   | प्राप्त<br>प्र.मा.नुसा<br>र किंमत रु.<br>कोटीत | प्रत्यक्षात<br>कार्यान्वीत<br>केल्यानुसार<br>किंमत | यापुढे<br>प्रकल्प पूर्ण<br>होईपर्यंत<br>होणारा<br>खर्च | एकूण खर्च   | निव्वळ<br>वाढ | बाब निहाय<br>किमतीच्या<br>अनुषंगाने<br>टक्केवारी | प्र.मा प्राप्त<br>किंमतीच्या<br>अनुषंगाने<br>बाबनिहाय<br>टक्केवारी |
|------------|---|--|--|--|-------------|---------------|--|--|
|            | र्किमत) I+II)                                       |  |  |  |             |               |  |  |
| 16         | Change of Scope (COS)                               | 0.000  | 0,000  | 9.000  | ७.०००       | 9.000         | १००.०००%   | ५.६३१%   |
| 17         | स्वतंत्र अभियंता व<br>Safety Consultant             | 0.000  | १.५५८  | 0.866  | २.०४६       | २.०४६         | १००.०००%   | १.६४६%   |
| 18         | प्रत्यक्षात काम<br>करतांना कमी जास्त<br>झालेला खर्च | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000       | 0.000         | १००.०००%   | 0.000%   |
| 19         | सल्लागार फी   | 0.000  | 0.000  | 0.000  | 0.000       | 0.000         | १००.०००%   | 0.000%   |
| 20         | एकूण किंमत) 15<br>ते 19)                            | १२४.३२०  | ४२.३५०   | ७९.१३९   | १२१.४८९     | -२.८३१        | -२.२७७%  | -२.२७७%  |
| 21         | वस्तु व सेवा कर<br>) GST)                           | 0.000  | ७.६२३  | १४.२४५   | २१.८६८      | २१.८६८        | १००.०००%   | १७.५९०%  |
| 22         | एकुण :-   | १२४.३२०  | ४९.९७३   | ९३.३८४   | १४३.३५<br>७ | १९.०३७        | १५.३१३%  | १५.३१३%  |

- २. नियोजन विभागाने अनौ.सं. १९३/का-१४३३ दि.३०.०६.२०२३ अन्वये सदर प्रस्तावास सहमती प्रदान केलेली आहे.
- 3. या कामावरील खर्च सुधारित अंदाजित खर्चाच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही या बाबीची जबाबदारी मुख्य अभियंता यांची राहिल.
- ४. सदर कामावरील खर्च हा लेखाशिर्ष "मागणी क्र. एच ७, ५०५४ मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे, (००) (०३) हायब्रीड ॲन्युईटी च्या माध्यमातून बांधण्यात येणाऱ्या रस्ते व पूल यांच्या बांधकाम प्रकल्पासाठी राज्यशासनाचे अनुदान (कार्यक्रम) (५०५४५२४२) ५३ मोठी बांधकामे" या तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
- ५. सदर शासन निर्णय व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि.२८ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या बैठकीबाबत वित्त विभागाच्या पत्र क्र.सुप्रमा-२०२३/प्र.क्र.७५/अर्थ-२, दिनांक ०७ डिसेंबर, २०२३ अन्वये निर्गमित केलेल्या इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
- ६. सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे-
  - ६.९) सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने घ्यावी.

- ६.२) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC तत्वे, वित्तीय मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपद्धती अनुसरणे, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या निदेशांचे व त्रुटींची पुर्तता करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी विभागाची राहील.
- ६.३) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक क्षेत्रिय निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमानुसार करण्याची जबाबदारी विभागाची राहील.
- ७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३०११४९१८९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. लवकरच अपलोड करण्यात येईल.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(ललितागौरी गिरीबुवा) अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

## प्रत,

महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) मुंबई महालेखापाल-१,महाराष्ट्र राज्य ( लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य ( लेखापरीक्षा) नागपूर. महालेखापाल-२,महाराष्ट्र राज्य ( लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ वित्त विभाग, (व्यय-१९)मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला निवडनस्ती कार्यासन रस्ते-५ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२.